'असंगठित क्षेत्र में कामगार महिलाएं, गूंजती आवाज़ें, बढ़ते कदम।'

—— अमृता ठाकुर

कमला घरेलू कामगार है, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा और खाना बनाने का काम करती है। वह हर दिन सुबह छह बजे अपने घर से काम के लिए निकलती है और उसे लौटते हुए रात के आठ–नौ बज जाते हैं। देर शाम इस वक़्त लौटना, हमें"ाा उसे डराता है, कई बार वह रास्ते में छेड़–छाड़ की f"ाकार भी हुई है। पर उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। नौकरी नहीं करेगी तो घर कैसे चलेगा।

असल में यह समस्या किसी एक कमला की नहीं है असंगठित क्षेत्र में काम कर रही महिला कामगारों को अक्सर इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। कामगार के रूप में महिलाओ की पहचान हमें"ाा संकट के घेरे में रही है और आज भी है। कुछ चमकदार पें"ो को अलग कर दिया जाए तो दर्जनों ऐसे पें"ो हैं जिनमें उनकी उपस्थिति को गिना ही नहीं जाता हैं। और दर्जनों ऐसे पें"ो भी हैं जिसमें उन्हें महिला होने की वज़ह से, अवसर न मिलने का ख़ामियाजा भुगतना पड़ता है। हाल ही में जागोरी के तत्वधान में 18 माच 2017 को *आयोजित सेमिनार* ''कामगार महिलाएं, गूंजती आवाज़ें, बढ़ते कदम'' में *विभिन्न असंगठित क्षेत्र की 200 से अधिक कामगार महिलांए अपने क्षेत्र में आने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिए एकत्र हुईं। यहां इन महिलाओं ने अपने अनुभवों को साझा किया व इस पर बातचीत की। एक रिपोर्ट –*

कामगार महिलाएं एक ज़मीनी हकीकत

घरेलू महिलाओं पर कराए गए एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि भारत में 35 करोड़ घरेलू महिलाओं के श्रम की कीमत 613 अरब डॉलर है लेकिन इस कीमत के बावजूद घरेलू महिलाओं के श्रम का कोई महत्व नहीं आंका जाता है। यहां तक की जनगणना में उन्हें अनुत्पादक श्रेणी में रखा जाता है। महिला कामगार आज भी सामाजिक सुरक्षा, समान पारिश्रमिक, अवका"ा, मातृत्व सुविधा लाभ, विधवा गुजारा भत्ता और कानूनी सहायता आदि से वंचित हैं।

बंबई कलकत्ता दिल्ली तथा बंगलौर की झोपड़पट्टियो पर किए गए एक शोध बताते हैं कि गांव से शहर की और पलायन करने वाली इन महिलाओं में से अधिकतर घरों में डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करती हैं या निर्माण कार्यो में दैनिक मजदूरी का काम पकड़ लेती हैं। इनमें से ज्यादातर की रोज की कमाई से ही पेट भरने की स्थिति में होती हैं। ये महिलाएं अपने पीछे जिस समाज को छोड़ कर आती हैं उनसे उनका रि"ता लगभग खत्म सा हो चुका होता है। ख़ासतौर पर घरेलू काम करने वाली इन महिलाओं की ज़िंदगी काम और अपने मालिकों के बीच ही केन्द्रित होकर रह जाती है।चूंकि कार्य का यह क्षेत्र असंगठित होता है और दूसरी नौकरियों से एकदम अलग किस्म का होता है, इस कारण इस क्षेत्र की कामगार महिलाएं कुछ अलग तरीके से शोषण का f"ाकार होती हैं।

घरेलू कामगार रे"ामा ने बताया कि घरों में चौका बर्तन साफ सफाई का काम करती है जब कभी बच्चे या खुद बीमार पड़ती है तो उन दिनों की मजदूरी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि तुम दिहाड़ी मजदूर हो, छुट्टी पर पैसा कैसे मिल सकता है। अगर एक महिला निर्माण कार्य में अपने पति के साथ काम करती है तो उसका वेतन भी पति को ही मिल जाता है, कई बार ऐसा होता है कि पति उस पैसे को शराब आदि में बरबाद कर देता है और महिला के लिए घर चलाना मु"किल हो जाता है।

सामाजिक सुरक्षा

इस क्षेत्र में महिलाओं की कमजोर स्थिति का पहला व सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारा पितृसत्तात्मक सामाजिक ढ़ांचा जिसमें लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। ज्यादातर कामगार महिलाएं अदक्ष कामगार श्रेणी की हैं जिससे उन्हें काम भी सबसे नीचे के स्तर के मिलते हैं। जितने भी झुक कर करने वाले काम हैं उनमें पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा हैं।

सामाजिक सुरक्षा देने के मामले में सबसे बुरा रिकार्ड कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है। वर्तमान में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नेटवर्क सभी शहरों में फैला हुआ है जिनके माध्यम स अनेक प्रकार के कार्य महिलाओं को घर पर करने के लिए दिए जाते हैं। इस तरह के कामों में एक सुविधा तो है कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना पड़ता मगर बीच में दलालों की कड़ी इतनी लंबी होती कि महिलाओं को उनके काम का उचित प्रतिफल नहीं मिल पाता है। मसलन सौ लिफाफे बनाने पर दो रुपया उनके हिस्से में आता है।

कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न

कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए बने कानून में असंगठित क्षेत्र की महिला कामगारों के लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है लेकिन सुरक्षा का सेफ्टी नेट गायब है। कुछ कार्य क्षेत्र जैसे घरेलू कामगारों का कार्य क्षेत्र, अपनी व्यवहारिक पेचिदगियों के कारण कानून से मिलने वाले लाभ से वंचित है। इसके अलावा 2016 में मार्ग ने दे"ा के पांच शहरों में फैक्टरी व अन्य अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के बीच यौन उत्पीड़न के मसले पर एक अध्ययन किया था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आईं ।

अधिकतर कामगार महिलांओं को यौन उत्पीड़न का क्या अर्थ है, उससे उन्हें क्या नुकसान पहुंचेगा, इसकी पहचान ही नहीं है। कई बार ये महिलाएं नियोक्ताओं की गलत हरकतो पर नौकरी जाने के डर से प्रतिकिया ही नहीं देती हैं। शादी ब्याह में काम के लिए जाने वाली महिलाओं में से एक रूबेना ने खुद स्वीकार किया कि अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई महिला जो खूबसूरत और जवान होती हैं, ठेकेदार की नज़रों में वे आ जाती हैं। अगर वे काम कम भी कर रही होती हैं तो ठेकेदार उन्हें पूरी छूट देता है।

फैक्टरी में श्रमिक के तौर पर काम करने वाली सरिता का भी यही कहना था कि नौकरी पर रखने में भेदभाव किया जाता है जवान महिलाओं को ज्यादा अवसर दिया जाता जबकि काम से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये महिलाएं ज्यादातर घरेलू हिंसा की भी ि"ाकार होती हैं। प्रेम के दो बोल सुनने के लिए तरसती ये महिलाएं,कई बार कम की जगह पर हो रहे यौन उत्पीड़न को समझ भी नहीं पाती हैं क्योंकि घर में स्थिति इससे भी ज्यादा ख़राब होती है। निर्माण कार्य में ईंट ढ़ोने वाली राजे"वरी ने बताया कि ठेकेदार ने उसे दो महीनें तक पैसे ही नहीं दिए कहा मेरे साथ सोओगी तब तुम्हें पैसा मिलेगा।

टायलेट की समस्या

मिनोती पटपड गंज, दिल्ली की एक सोसायटी में घरेलू काम करती हैं। वह सुबह आठ बजे घर से निकल जाती है और एक के बाद एक कई घरों में काम करती है, ओर देर शाम को ही घर लौट पाती है। बकौल मिनौती *''दिक्कत आती है जब बाथरूम जाना होता है, कई बार बुरी हालत हो जाती है समझ नहीं आता कहां जाऊं। घर में जाने से मना करते हैं। सोसायटी का बाथरूम है जहां गार्ड लोग जाते हैं, वहां हम लोगों को वो लोग जाने नहीं देते। कहते हैं औरते बाथरूम गंदा कर देती हैं।''*

घरेलू काम करने वाली इन कामगारों को अक्सर ये समस्या झेलनी पड़ती है। वर्ग और जाति का मामला इस कदर समाज में गुंथा हुआ है कि जिस घर में ये महिलाएं सफाई करती हैं उसी घर के टायलेट को उन्हें इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती है। कई बार उन्हें अपने तथाकथित मालकिनी लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता हैं कि उन्हें टायलेट इस्तेमाल करने दिया जाए क्योंकि ये जरूरत अब उनके नियन्त्रण से बाहर है। मजबूरन अपनी इस प्राकृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें ऐसे स्थानों पर जाना पड़ता जो सुरक्षित नहीं होता है। असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं कारखानों, निर्माण कार्य, रेहड़ी पटरी अदि क्षेत्र में हैं उन्हें भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। उनके लिए न तो अलग से टायलेट और न ही उनके बच्चों को सुलाने या दूध पिलाने की जगह की कोई व्यवस्था होती है।

मातृत्व अधिकार व सुविधाएं

नए मातृत्व लाभ कानून के अंतर्गत संगठित क्षेत्र की महिलाओं को छह महीनें का मातृत्व अवका"ा और पिता को सात दिन की छुट्टी की सुविधा का प्रावधान है। ये सुविधाएं असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को नहीं हैं क्योंकि उनका कोई कांट्रेक्ट नहीं है और न ही नि"चत आय है साथ ही काम की प्रकति भी दिहाड़ी जैसी है। आंकड़ें बताते हैं कि हर वर्ष लगभग तीन करोड़ महिलाएं गर्भवती होती हैं लेकिन इस कानून का लाभ केवल एक लाख महिलाओं को मिलता है यानी दस में से एक गर्भवती महिला को इस कानून का लाभ मिलता है।

नीति निर्धारण स्तर पर ये महिलाएं

असंगठित क्षेत्र के लिए बनाई जाने वाली नीतियों में सबसे बड़ी कमी यह रहती है कि इसमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं की संख्याओं से संबधित जानकारी एकत्र नहीं की जाती है। यहां तक की घरेलू कामगार महिलाओं के लिए 2011 में नीति तैयार कर दी गई थी लेकिन वह अभी तक पारित नहीं हुई। घरेलू कामगारों से सबंधित शि"ाकायतों को संबोधित करने का कोई तन्त्र नहीं है।

हाल ही में दिल्ली पुलिस ने घरेलू कामगारों के लिए सत्यापन अनिवार्य कर दिया है, हालांकि कुछ अपराधिक मामलों के सामने आने के बाद एहतियातन यह कदम उठाया गया है लेकिन इसका एक पहलू यह भी है कि जिस प्रकार सत्यापन की यह पूरी प्रकिया होती है, वह अपने आप में अपमानजनक है। घरेलू कामगार वि"ाखा के अनुसार –'ऐसा लगता जैसे हम कोई चोर उचक्का हैं। थानें जाओ, अंगुठा का छाप लेते हैं, साहब लोग को भी हमार बारे में पूरा दो पेज का फार्म भरना पड़ता है।'

काम में भागीदारी पर दिहाड़ी में गैरबराबरी

स्त्री पुरुष के बीच मजदूरी में अंतर पूरे वि"व में है लेकिन हमारे दे"ा में यह गैरबराबरी कुछ ज्यादा ही है। भारत में यह अंतर 50 प्रति"ात का है। 2013 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार श्रम बाजार में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन मिलता है यह अंतर कामगारों की मजदूरी में भी दिखा। श्रम क्षेत्र के लिए बनाइ जाने वाली नीतियों के लिए न्यूनतम वेतन को आधार बनाया जाता है, और यह न्यूनतम वेतन पुरुष का वेतन होता है। नोति निर्धारकों के लिए महिला का वेतन अतिरिक्त आय होती है जो समाज या दे"ा किसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो समझा जा सकता है कि क्यों महिलाएं इन नीतियों व योजनाओं से गायब होती हैं।

श्रम कानून

कानून आधारित गैरबराबरी के कारण महिलाएं काम के कई अवसर खो देती हैं मसलन, रात की शि"ाफ्ट वाली नौकरी, अंडरग्राउण्ड में होने वाले काम, भारी म"ाीनों वाले काम आदि। इन सब कामों में उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करने के स्थान पर सीधा ही एक सोच बना ली गई है कि यह काम महिलाओं का है ही नहीं ।

सरकार के अनुसार महिलाआ कामगारों की संख्या में लगातार कमी आ रही है उदाहरण के तौर पर यह अभी मात्र 27 प्रति"ात है। जबकि यह अनुमान तथ्यों को सही तरीके से नहीं देखने की वज़ह से है। वे क्षेत्र जहां महिला कामगारों की संख्या सबसे अधिक है वो गणना में शामिल ही नहीं किया जाता है। ज़मीनी हकीकत और संकलित आंकड़ों में बहुत अंतर है।' कानून, बजट और नीतियां असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली इन कामगार महिलाओं को मान्यता नहीं देती हैं। लेकिन हक़ीकत यह है कि ये कामगार महिलाएं अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रही हैं नीति निर्धारकों को यह स्वीकारना ही पड़ेगा। आज विकास की परिभाषा में महिलाओं के काम के घंटों में वृद्धि, उनके प्रजनन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और और अधिक और हिंसा की प्रकिया में नए सिरे से विचार करने की जरूरत है।